

नगर पालिका, जोबनेर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/JOBNER/FIRENOC/2025-26/57979
जारी दिनांक: 28-AUG-2025 वैधता दिनांक: 27-AUG-2027

प्रेषित-

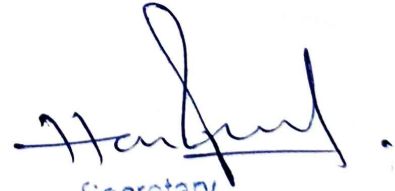
आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: DR HARPHOOL SINGH CHOUDHARY
आवेदक का पता: VPO BHAINSAWA KALWAR ROAD JAIPUR 303123

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन **S R BAL VIDHYA MANDIR SAMITI, 1469 1267 1081, BHAINSAWA, BHAINSAWA, , JAIPUR, RAJASTHAN** का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह **स्थायी (Permanent)** अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. समय-समय पर अग्निशमन यंत्र का रखरखाव किया जाये तथा निचित समयावधि में रिफिल करवाना होगा।
2. किसी भी प्रकार कि लुज विद्युत फिटिंग नही होनी चाहिए।
3. फायर वाहन आसानी से जा सके इसके लिये खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
4. यदि राज्य सरकार द्वारा कोई नियम एवं उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
5. यह प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार का भू-उपयोग निर्धारण या स्वामित्व के लिये मान्य नही होगा।
6. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे।
7. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोट पदार्थ व अतिज्वलनीय पदार्थ नही रखा जावे।
8. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी से वैधता अवधि तक मान्य रहेगा वैधता अवधि समाप्त होने के पचात अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
9. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिानिर्देशों का पालन करना होगा। पालिका द्वारा इस संबंध में कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।
10. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पंप व फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यालय स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
11. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र मान्य नही होगा। इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
12. यह प्रमाण पत्र अग्निसुरक्षा के लिये मान्य होगा।
13. किसी भी समय नगरीय निकाय में आप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, भाष्य पत्र में भिन्नता एवं किसी भी सक्षम दस्तावेजों की कमी संज्ञान में आती है तो उक्त एनओसी निरस्त की जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।



Secretary
S.R. Bal Vidhya Mandir Samiti
Bhainsawa, Jaipur (Raj.)



Signed by: Rakesh Kumar Sharma
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: JOBNER, Rajasthan
Date: 28/08/2025 16:38:16

अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, जोबनेर

नगर पालिका, जोबनेर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.:

LSG/JOBNER/FIRENOC/2025-26/65101

जारी दिनांक:

11-FEB-2026

वैधता दिनांक:

10-FEB-2028

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती:

DR HARPHOOL SINGH CHOUDHARY

आवेदक का पता:

BHAINSAWA TEH. JOBNER JAIPUR 303123

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन **S R BAL VIDHYA MANDIR SAMITI, 1469 1267 1081, BHAINSAWA, BHAINSAWA, , JAIPUR, RAJASTHAN** का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह **स्थायी (Permanent)** अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. समय-समय पर अग्निशमन यंत्र का रखरखाव किया जाये तथा निश्चित समयावधि में रिफिल करवाना होगा।
2. किसी भी प्रकार कि लुज विद्युत फिटिंग नही होनी चाहिए।
3. फायर वाहन आसानी से जा सके इसके लिये खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
4. यदि राज्य सरकार द्वारा कोई नियम एवं उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
5. यह प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार का भू-उपयोग निर्धारण या स्वामित्व के लिये मान्य नही होगा।
6. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे।
7. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोट पदार्थ व अतिज्वलनीय पदार्थ नही रखा जावे।
8. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी से वैधता अवधि तक मान्य रहेगा वैधता अवधि समाप्त होने के पचात अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
9. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिानिर्दों का पालन करना होगा। पालिका द्वारा इस संबंध में कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।
10. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पंप व फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यालय स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
11. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र मान्य नही होगा। इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
12. यह प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा के लिये मान्य होगा।
13. किसी भी समय नगरीय निकाय में आप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, भाष्य पत्र में भिन्नता एवं किसी भी सक्षम दस्तावेजों की कमी संज्ञान में आती है तो उक्त एनओसी निरस्त की जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।


Secretary
S.R. Bal Vidhya Mandir Samiti
Bhainsawa, Jaipur (Raj.)



Signed by: Rakesh Kumar Sharma
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: JOBNER, Rajasthan
Date: 11/02/2026 15:15:19

अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, जोबनेर